(राज्य सभा द्वारा 3 अगस्त 2023 को पारित रूप में)

2023 का विधेयक संख्यांक 54-सी

[दि एडवोकेट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023

अधिवक्ता अधिनियम, 1961
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

5

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

नई धारा 45क का अंतःस्थापन ।

दलालों की सूची बनाने और प्रकाशित करने की शक्ति ।

2. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 45 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 1961 का 25

'45क. (1) प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और प्रत्येक राजस्व अधिकारी, जो जिले के कलेक्टर की श्रेणी से नीचे का नहीं है (प्रत्येक अपने स्वयं के न्यायालय और न्यायालयों के संबंध में, यदि कोई हो, उसका अधीनस्थ हो) अपनी संतुष्टि के लिए, या किसी भी अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि के लिए, सामान्य प्रतिष्ठा के साक्ष्य द्वारा या अन्यथा, दलालों के रूप में कार्य करने की आदत से साबित व्यक्तियों की सूची विरचित और प्रकाशित कर सकता है, जैसा उपधारा (3) में उपबंधित किया गया है, और समय-समय पर, ऐसी सूचियों में परिवर्तन और संशोधन कर सकता है ।

स्पष्टीकरण—किसी न्यायालय या राजस्व कार्यालय में विधि व्यवसाय के रूप में व्यवसाय करने के हकदार व्यक्तियों के संघ की बैठक में, जो विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई है, उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा कोई व्यक्ति दलाल है या नहीं, को घोषित करने का प्रस्ताव पारित करना, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति की सामान्य प्रतिष्ठा का साक्ष्य होगा ।

(2) किसी व्यक्ति का नाम इस सूची में तब तक शामिल नहीं किया जाएगा, जब तक उसे इस तरह शामिल किए जाने के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दलालों की सूची विरचित करने और प्रकाशित करने के लिए सशक्त कोई भी प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय को दलाल होने के लिए अभिकथित या संदिग्ध व्यक्तियों के नाम भेज सकता है, और अधीनस्थ न्यायालय उस पर ऐसे व्यक्तियों के आचरण की जांच करवाएगा और, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को उपधारा (2) में यथा उपबंधित कारण बताने का अवसर दिए जाने के पश्चात्, उस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसने जांच का आदेश दिया था, प्रत्येक ऐसे व्यक्तियों का नाम, जो अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दलाल साबित हो चुका है ; और वह प्राधिकारी, ऐसे किसी व्यक्ति का नाम उस प्राधिकारी द्वारा विरचित और प्रकाशित दलालों की सूची में शामिल कर सकता है :

परंतु ऐसा प्राधिकारी, ऐसे व्यक्ति को सुनेगा, जो अपना नाम इस प्रकार शामिल किए जाने से पूर्व, उसके समक्ष उपस्थित होता है और सुनवाई की इच्छा रखता है ।

(4) ऐसी प्रत्येक सूची की एक प्रति प्रत्येक न्यायालय में रखी जाएगी, जिससे वह संबंधित है ।

(5) न्यायालय या न्यायाधीश, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के परिसर से बाहर कर सकता है, जिसका नाम ऐसी किसी सूची में शामिल है ।

(6) कोई व्यक्ति, जो दलाल के रूप में कार्य करता है, जब तक उसका नाम ऐसी किसी सूची में शामिल है, उसे कारावास से, जो तीन महीने तक बढ़ाया जा

सकता है, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "न्यायाधीश" से प्रत्येक सिविल या आपराधिक न्यायालय में पीठासीन न्यायिक अधिकारी अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी पदनाम से नामनिर्दिष्ट हो ;

(ख) "अधीनस्थ न्यायालय" से उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी न्यायालय, जिसमें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित लघुवाद न्यायालय भी आता है, अभिप्रेत है ;

(ग) "राजस्व अधिकारी" में भूधारकों और उनके किराएदार या अभिकर्ताओं से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वाद का विचारण करने वाले सभी न्यायालय (सिविल न्यायालय से अन्यथा) शामिल हैं ;

(घ) "दलाल" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो,—

(i) किसी विधि व्यवसायी से किसी पारिश्रमिक के प्रतिफल में किसी विधि व्यवसाय में विधि व्यवसायी का नियोजन उपाप्त करता है ; या जो किसी विधि व्यवसायी को या विधि व्यवसाय में रूचि रखने वाले किसी व्यक्ति को उनमें से किसी से भी किसी पारिश्रमिक के बदले में, ऐसे कारबार में विधि व्यवसायी को रोजगार प्राप्त कराने का प्रस्ताव देता है ; या

(ii) जो ऐसे उपापन के प्रयोजन के लिए सिविल या आपराधिक या राजस्व कार्यालयों, या रेलवे स्टेशनों, या उतरने के स्थानों, वासा स्थलों या सार्वजनिक रिसार्ट के अन्य स्थानों में बार-बार जाता है ।'।

धारा 50 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

1961 का 25
1879 का 18

"(6) ऐसी तारीख को, जिसको अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 45क प्रवृत्त होती है, विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 की धारा 1, धारा 3 और धारा 36 निरसित हो जाएगी ।"।